उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-18/2020/157/92-2-2020-07(जॉच)/2012,

लखनऊ :: दिनांक:: 15 जनवरी, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनपद-कानपुर नगर मे डा0 अम्बेडकर ग्राम धरमंगतपुर की 44 गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों की जांच में बेस कंक्रीट/सतह पर ब्रूमिंग व कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट की गुण्वत्ता खराब पाये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 24.13 लाख में से मु0 रू0 6,03,250.00 के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132/2018/2593/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री अनिल कुमार बाजपेई, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर सम्प्रति सहायक अभियन्ता प्रखण्ड उन्नाव (सम्बद्ध कानपुर नगर) को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2596/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 09.10.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार बाजपेई के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 10.10.2018 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल फैजाबाद को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 15.11.2019 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार बाजपेई के विरूद्ध अधिरोपित कुल-02 आरोपों को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-2 को जांच आख्या की विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार बाजपेई के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-2 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार बाजपेई के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132/2018/2593/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री अनिल कुमार बाजपेई, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर सम्प्रति सहायक अभियन्ता प्रखण्ड उन्नाव (सम्बद्ध कानपुर नगर) के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर [illegible] समाप्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-18/2020/157/(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल अयोध्या।

3- श्री अनिल कुमार बाजपेई, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कानपुर नगर सम्प्रति सहायक अभियन्ता प्रखण्ड उन्नाव (सम्बद्ध कानपुर नगर) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।